>

Title: Need to increase the minimum pension for workers under Employees Provident Fund Pension Scheme from Rs. 250-1600 to Rs. 1000-3500 in the country.

श्री राजाराम पाल (अकबरपुर): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से पूरे देश के करोड़ों श्रमिकों के बारे की ई.पी.एस. 1955 में भविष्य निधि पैंशन स्कीम के तहत प्राप्त होने वाली पैंशन बढ़ोत्तरी के सम्बन्ध में सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आज पूरे देश में जो बड़े-बड़े कल-कारखाने हैं, जिनमें दसियों हजार मजदूर एक-एक मिल में, एक-एक कारखाने में काम करते हैं, वे सारे देश के कारखाने बन्द हो चुके हैं। ई.पी.एस. भविष्य-निधि के तहत 1955 में जो नियम बना था, उस समय पैंशन 250 रुपये से लेकर 1600 रुपये तक देने का प्रावधान रखा गया था। 1995 में तब यह नियम लागू किया गया था कि इस पैंशन को 10 वर्ष बाद संशोधित कर दिया जायेगा। आज 2012 चल रहा है, 250 रुपये तो आज वृद्धावस्था पैंशन, विधवा पैंशन, विकलांग पैंशन वालों को भी नहीं मिल रही। ये जो पूरे देश में लाखों मजदूर हैं, इन्होंने मिलों में बड़े पैमाने पर काम किया है।

जैसा कि हिंदुस्तान के अखबार में 6 अगस्त, 2010 के संस्करण में छपा है, उन्होंने कहा है कि पीएफ के 59 अरब रूपए का कोई दावेदार नहीं है। स्वयं श्रम मंत्री जी ने राज्य सभा में स्वीकार किया था कि 19 अरब रूपए, जो पीएफ में जमा हैं, उनका भी देश में कोई दावेदार नहीं है।

सभापति महोदय : आप सरकार से मांग कीजिए।

श्री राजाराम पाल : मान्यवर, इस तरह से जो श्रमिकों के खून-पसीने की कमायी थी, जिसमें श्रमिक के वेतन से 12 परसेंट और नियोक्ता से 12 परसेंट रूपए सरकार के खाते में जमा किए जाते थे। उनके आज 59 अरब रूपये जमा हैं। मान्यवर, मैं बिंदुवार आपको बता सकता हूं।

सभापति महोदय : वह ठीक है, आप मांग कीजिए।

श्री राजाराम पाल: मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि इन दोनों खातों में 59 अरब और 19 अरब रूपए जो जमा हैं, इन दोनों निधियों को ईपीएस के खाते में समायोजित करके और ईपीएस की जो पेंशन स्कीम है, उसमें कम से कम एक हजार से पैंतीस सौ रूपए श्रमिकों के लिए कर दिया जाए, ताकि उनको भुखमरी से बचाया जा सके। इसी के साथ आपने मुझे इस विषय पर बोलने के लिए मौका दिया, मैं आपको धन्यवाद देकर अपनी बात समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय : श्री हंसराज गं. अहीर अपने आपको श्री राजाराम पाल के विषय के साथ संबद्ध करते हैं।